

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.id18@gmail.com फोन नं. -07752-493695

क/विद्या.आ./न.स./2021/ P-330/

बिलासपुर, दिनांक 21/06/2021.

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा संभाग बिलासपुर (छ.ग.)।

विषय :- विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- 01. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 22-06/2020/20-
एक रायपुर दिनांक 21.03.2021


02. लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/विद्या
/2020-21/126 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.03.2021.

—00—

उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में लेख हैं कि नवीन शिक्षा सत्र में शिक्षा संभाग बिलासपुर के समस्त जिलों में संचालित विद्यालय अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक/कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोक थाम हेतु छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों यथा मास्क लगाना, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखना, समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त कार्यालयीन दिवसों में शतप्रतिशत उपस्थित रह कर निम्नानुसार कार्यो का संचालन हेतु निर्देश दिये जाते हैं :-

01. विद्यालयों के संस्था प्रमुख द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य।
02. शाला भवन-परिसर की सफाई-सफाई एवं रंग रोजन किया जाना।
03. आंगनबाड़ी, प्रथमिक शाला, माध्यमिक शाला व हाई स्कूल से समन्वय बनाकर पहली से 6वी, 9वी, एवं 11वी प्रवेश के लिए उन शालाओं से विद्यार्थियों की सूची प्राप्त कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कराना जाना।
04. प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि शिक्षा पोर्टल में किया जाना।
05. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क सायकिल वितरण, मध्याह्न भोजन, सूखा राशन का वितरण किया जाना प्राप्ति पंजी में विद्यार्थियों के हस्ताक्षर लिये जाये तथा निर्धारित पोर्टल पर भी अविलम्ब प्रविष्टि करायी जाये।
06. प्रवेशित छात्रों के पास अगर स्मार्ट फोन है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाईन पढ़ाई कराई जाये।
07. नवनियुक्त कर्मचारियों से नामांकन प्रपत्र तैयार कराकर सेवा पुस्तिका, सीपीएस पास बुक का संधारण किया जाना।
08. cgschool.in में शिक्षक प्रविष्टि को अद्यतन किया जाये, दिवंगत, सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम विलोपित करते हुए सीधी भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति वाले का नाम जोड़ा जाये।
09. आमारईट परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जाना।
10. भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाना।

11. स्थानीय कक्षा उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को शीघ्र प्रगति पत्र प्रदान किया जाना।
12. अपलेखन नियमों का पालन करते हुए समिति गठित कर अनुपयोगी सामग्री का अपलेखन कर प्राप्त राशि चालान के माध्यम से शासन के द्वारा निर्धारित मद में जमा किया जाना।
13. यूडाईस प्रविष्टि का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना।
14. वार्षिकी शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किया जाना।
15. छात्रवृत्ति, स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार किये जाने हेतु समय-सीमा का निर्धारित करते हुए कैलेण्डर तैयार किया जाना।
16. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा कक्षावार दिये गये अभ्यास पुस्तिका के अनुसार विद्यार्थियों का ऑनलाईन अध्यापन कराया जाना।
17. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की सम्पूर्ण तैयारी (जैसे-विद्यार्थी नामांकन, शिक्षक प्रतिनियुक्ति, अद्योसंरचना मद से) पूर्ण तैयारी किया जाना।
18. सेतु पाठ्यक्रम योजना के संबंध में विभागीय निर्देशों का समय पर पालन करना।
19. महतारी दुलारी योजना का क्रियान्वयन करना।
20. विभाग अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों सत्यापन प्रविष्टियां करना।


 संयुक्त संचालक
 शिक्षा संभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

email - deogaurellapendramarwahi1@gmail.com


Ph - 07751220233

क्रमांक / 550 / विद्या. / सामान्य / 2021

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 21/06/2021

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त प्राचार्य शा0/अशा0 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)